संख्या- 104/2019/5044/71-1-2018-जी-63/2018

प्रेषक,

डॉ0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 21 नवम्बर , 2019

विषय:- राजकीय मेडिकल कालेजों में संविदा के आधार पर कार्यरत/तैनात चिकित्सा शिक्षकों के मानदेय का पुर्ननिर्धारण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0-2/2019/2670, दिनांक 17-09-2019, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेजों में संविदा के आधार पर कार्यरत/तैनात चिकित्सा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- - इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त महामहिम राज्यपाल राजकीय मेडिकल कालेजों में संविदा के आधार पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को निम्नानुसार मानदेय प्रदान किये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

| क्र सं0 | पदनाम | शासनादेश दिनांक 22-01-2015 द्वारा निर्धारित मानदेय | पुर्ननिर्धारित नियत मानदेय |
|---|---|---|---|
| 1 | आचार्य | रू0 90,000/- | रू0 1,**35**,000/- |
| 2 | सहआचार्य | रू0 80,000/- | रू0 1,20,000/- |
| 3 | सहायक आचार्य | रू0 60,000/- | रू0 90,000/- |
| 4 | प्रवक्ता | रू0 50,000/- | रू0 75,000/- |

3- इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-सी0एम0-03/71-1-2014-जी0-63/2008 दिनांक 22-01-2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

4- इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-4798/71-1-2018-जी0-21/2009, दिनांक 28-11-2018 द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 2018 में किये गये संशोधनों के अनुसार ही सहायक आचार्य अथवा प्रवक्ता पद के सापेक्ष संविदा पर तैनाती की जाय।

कृपया तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(डॉ0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 104/2019/5044/(1)/71-1-19, तद्दिनांक

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0,लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी, प्रयागराज, गोरखपुर,कानपुर, आगरा,अम्बेडकर नगर,आजमगढ़,जालौन,कन्नौज,बाँदा, बदायूँ, सहारनपुर तथा मेरठ।
4- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़,जालौन,कन्नौज,बाँदा, बदायूँ, सहारनपुर तथा मेरठ।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी झाँसी, प्रयागराज, गोरखपुर,कानपुर, आगरा,अम्बेडकर नगर,आजमगढ़,जालौन,कन्नौज,बाँदा, बदायूँ, सहारनपुर तथा मेरठ।
6- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-3/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( एस0 पी0 सिंह )
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।